

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
समस्तीपुर

कार्यालय आदेश संख्या -1042/N6/2019/MECH CPJ/SPJ

श्री मनीष कुमार, पिता श्री राजेन्द्र पासवान, व0स0लो0पा0/झांसी मंडल, उत्तर मध्य रेलवे, वेतनमान 5200-20200+2400, (लेवल-4) जिनका पदावनत पद स0लो0पा0 वेतनमान 5200-20200+1900, (लेवल-2) के पद पर अंतर रेलवे निजी अनुरोध स्थानान्तरण मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)/झांसी, उत्तर मध्य रेलवे के पत्र संख्या:-P/PF/MK/ALP/LR दिनांक 06.03.2019 एवं मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)/समस्तीपुर, पूर्व मध्य रेल के पत्र संख्या:-का/111/283/यॉ(पावर)/सलोपा/निजी अनुरोध स्था0/अं0मं0-अं0रे0/पार्ट-X दिनांक 24.05.2019 के द्वारा स्वीकृत है, तथा मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)/झांसी, उत्तर मध्य रेलवे के पत्र संख्या:-P/PF/MK/ALP/LR दिनांक 20.08.2019 के द्वारा विरमित होकर इस मंडल में पदस्थापना हेतु दिनांक 22.08.2019 को रिपोर्ट किये हैं, को स0लो0पा0 वेतनमान 5200-20200+1900, (लेवल-2) के पद पर निम्नतम वरीयता पर संयुक्त कू लॉबी/दरभंगा मे पदस्थापित किया जाता है।

इनके इस मंडल में रिपोर्ट करने की तिथि 22.08.2019 से कार्यालय आदेश जारी होने तक की अवधि को पदस्थापना हेतु प्रतिक्षारत अवधि मानी जाएगी।

उक्त स्थानान्तरण कर्मचारी के अन्तर रेलवे निजी अनुरोध स्थानान्तरण पर है अतः इन्हें स्थानान्तरण पर मिलने वाली कोई भी सुविधा देय नहीं है।

यह सक्षम अधिकारी द्वारा आदेशित है।

श्री मनीष कुमार का फोटो, हस्ताक्षर एवं बांये अंगूठे का निशान अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिप्रमाणित।



Manish Kumar



अधिकारी

(चन्द्र किशोर)

सहायक कार्मिक अधिकारी-11
कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर

सं0-का/111/283/यॉ(पावर)/सलोपा/निजी अनुरोध स्था0/अं0मं0-अं0रे0/पार्ट-X, दिनांक 30.08.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/झांसी, उत्तर मध्य रेलवे-कृपया उपरोक्त कर्मचारी का ए0पी0ए0आर0 एवं सेवा अभिलेख विधिक्षणोपरान्त इस मंडल को अविलम्ब भेजने की व्यवस्था करें।
2. मयाई(पावर)/समस्तीपुर।
3. वमविप्र./समस्तीपुर।
4. मुख्य कू नियंत्रक(संयुक्त कू लॉबी)/दरभंगा-कृपया कर्मचारी का योगदान देने संबंधी सूचना इस कार्यालय को दें।
5. मुकार्याधी/यांत्रिक(पावर) संवर्ग-कृपया उक्त कर्मचारी का अन्य आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करे।
6. मुकार्याधी/यांत्रिक बिल एवं बिल लिपिक/संयुक्त कू लॉबी/दरभंगा।
7. मुकार्याधी/अनुश्रवण प्रकेष्ठ।
8. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो0/सम0 मंडल।
9. संबंधित कर्मचारी-आप मुख्य कू नियंत्रक(संयुक्त कू लॉबी)/दरभंगा को रिपोर्ट करे।
10. अभिलेख हेतु।

कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर